संख्या- 4/2015/1158/22-4-14-48(52)/97

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-07 जनवरी, 2015

विषय- जिला कारागार, चित्रकूट के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 24877/नम-2, दिनांक- 03 सितम्बर, 2014 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या- 84/22-4-2010-48(52)/97, दिनांक 15.02.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, चित्रकूट के निर्माण हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन, जिसकी अनुमोदित लागत रू0 1,27,00,60,000/-(रूपया एक अरब सत्ताइस करोड. साठ हजार मात्र) है, की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्कतानुसार महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(5) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तमन जैसे-नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार में वृद्वि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना, लोड वियरिंग के स्थान पर फेम्ड स्ट्रक्चर , सामान्य फाउण्डेशन के स्थान पर पाइल/राफ्ट फाउण्डेशन पर निर्माण कराया जाना इत्यादि व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्य की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) परियोजना में समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(7) आगणन का परीक्षण उसमें प्रस्तावित विशिष्टियां एंव कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 15.02.2010 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन से सम्बन्धित एवं व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है, इसमें उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अनतर्गत उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1967/दस-2014, दिनांक- 06 जनवरी,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 4/2015/1158 (1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, चित्रकूट।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in